

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग) (1) /अलेसे-1/700

दिनांक :- 01.09.2021

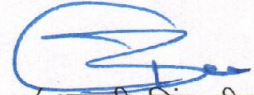
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, उमरैण,
अलवर

विषय :- श्री कैलाश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को कार्यमुक्त करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 338 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा श्री कैलाश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण/पदस्थापन विकास अधिकारी पंचायत समिति, उमरैण से राजकीय महाविद्यालय (पुरुष) कला संकाय, बास कृपाल नगर, किशनगढ़बास (अलवर) में किया गया था, किन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक भी श्री गुप्ता को उनके स्थानान्तरित स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया है।

विभागीय आदेश संख्या 443/2021-22 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा श्री विकास कुमार, स.ले.अ. ग्रेड-1 का पदस्थापन आपके विभाग में कर दिया गया है, जिस कारण से वर्तमान में आपके कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत दो पदों के विरुद्ध 3 कार्मिक पदस्थापित हैं। अतः श्री गुप्ता को तुरन्त उनके स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर इस निदेशालय को अवगत करावें।



(भवानी सिंह मीणा)

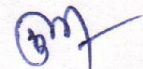
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक :- एफ.2(ग) (1) /अलेसे-1/700

दिनांक :- 01.09.2021

प्रतिलिपि :-

श्री कैलाश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है विभागीय आदेश दिनांक 07.08.2020 के द्वारा आपका पदस्थापन/स्थानान्तरण विकास अधिकारी पंचायत समिति, उमरैण से राजकीय महाविद्यालय (पुरुष) कला संकाय, बास कृपाल नगर, किशनगढ़बास (अलवर) में किया गया था परन्तु आप द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है। अतः आप तुरन्त प्रभाव से आदेश दिनांक 07.08.2020 की पालना कर अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



(कुसुम मीणा)

सहायक निदेशक (कार्मिक-1)